निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 आषाढ़ 1937 (श0)

(सं0 पटना 696) पटना, बुधवार, 24 जून 2015

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

19 मई 2015

सं0 5/सह॰/फ॰बी॰–33/2015–**1607**––भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली के पत्रांक–13011/15/1999, क्रेडिट–II दिनांक 16 जुलाई, 1999 द्वारा परिचारित आदेश एवं पत्रांक–13011/04/2004–क्रेडिट– II दिनांक–20.03.2015 द्वारा दी गई प्रशासनिक स्वीकृति तथा सहकारिता विभाग के संकल्प संख्या–1261 दिनांक–08.04.2000 एवं संकल्प संख्या–4808 दिनांक 24.12.2014 तथा योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की दिनांक 29.04.2015 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में खरीफ–2015 मौसम के लिए राज्य के सभी 38 जिलों में भारत सरकार द्वारा निर्गत योजना दिशा–निदेश के अनुरूप कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को निम्नरूपेण अधिसूचित किया जाता हैः–

(क) बीमा हेतु अगहनी धान एवं भदई मकई फसल को अधिसूचित किया जाता है। अगहनी धान राज्य के 38 जिलों के 524 अंचलों में अधिसूचित किया जाता है। इसके लिए बीमा की इकाई अंचल होगा। भदई मकई को राज्य के 28 जिले यथा–पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, गया, नवादा, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पू॰ चम्पारण, प॰ चम्पारण, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, बेगुसराय, खगड़िया, भागलपुर, बाँका, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णियाँ, अररिया एवं कटिहार में अधिसूचित किया जाता है। इसके लिए बीमा की इकाई जिला होगा।

(ख) NAIS के प्रावधान के अनुसार किसानों के हित को देखते हुए Indemnity Level योजना के दिशा–निदेश के अनुसार यथासंभव 80% या 90% रखा जायेगा।

(ग) योजना का प्रचार–प्रसार AIC बीमा कंपनी तथा बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

(घ) योजना का कार्यान्वयन एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि॰, पटना द्वारा किया जायेगा।

2. **कवर किए जाने वाले किसान** – संसूचित क्षेत्रों में संसूचित फसलों को उगाने वाले बटाईदारों, काश्तकारों सहित सभी किसान कवर किए जाने के योग्य हैं।

स्कीम के अन्तर्गत निम्नलिखित वर्गों के किसानों को कवर किया जाएगा।

(क) **अनिवार्य आधार पर** – वे सभी किसान जो संसूचित फसल उगा रहे हैं और वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि प्रचालन ऋण ले रहे हैं, अर्थात् ऋणी किसान।

(ख) **स्वैच्छिक आधार पर** – संसूचित फसल उगाने वाले वे सभी अन्य किसान (अऋणी किसान) जो इस स्कीम में आने की इच्छा रखते हैं।

3. **बीमित राशि/कवरेज की सीमा** – बीमित राशि कवर किए किसानों की इच्छा के अनुसार बीमित फसल के एक निश्चित उत्पादकता स्तर के मूल्य तक बढ़ाई जा सकती है। बहरहाल, कोई किसान वाणिज्यिक दरों पर प्रीमियम के भुगतान द्वारा अपने फसल का बीमा निश्चित पैदावार स्तर से अधिक तक अर्थात संसूचित क्षेत्र के औसत उत्पादकता के 150 प्रतिशत तक के मूल्य पर भी करवा सकता है।

ऋणी किसानों के मामले में बीमित राशि कम से कम दिए गए फसल ऋण की राशि के बराबर होगी। इसके अलावा, ऋणी किसानों के मामले में बीमा प्रभार ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से लिए गए धन के अतिरिक्त होगा। फसल ऋण वितरण प्रक्रिया के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड के दिशा–निदेश मानना अनिवार्य होगा।

4. **प्रीमियम दर** – इस योजना में प्रीमियम दर निम्नवत होंगे :–

क्र॰ सं॰	फसल का नाम	प्रीमियम दर
1	2	3
1.	अगहनी धान	बीमित राशि का 2.5% या वास्तविक दर, इनमें जो भी कम हो।
2.	भदई मकई	बीमित राशि का 2.5% या वास्तविक दर, इनमें जो भी कम हो।

5. लघु एवं सीमान्त कृषकों को बीमा प्रीमियम की राशि में 10% का अनुदान सरकार द्वारा अनुमान्य होगा। शेष राशि कृषकों द्वारा वहन किया जायेगा। प्रीमियम अनुदान की राशि राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा बराबर–बराबर वहन किया जायेगा।

6. गैर ऋणी कृषकों के फसलों का बीमा करने से पूर्व बैंक द्वारा निम्नांकित बातों का अनुपालन करना आवश्यक होगा :–

(क) कृषक द्वारा प्रस्ताव पत्र पूर्णतः भरा गया होगा।

(ख) कृषक का बचत खाता बैंक में चलन में हों।

(ग) लघु एवं सीमान्त कृषक द्वारा अंचलाधिकारी से निर्गत वांछित प्रमाण–पत्र जमा किया गया हो, जिसपर अनुदान की पात्रता दी जाय।

(घ) किसान के प्रस्ताव पत्र के साथ भूमि प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न की गई हो।

7. सभी संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंकों/वाणिज्य बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा माहवार/फसलवार/इकाईवार (अंचलवार–जिलावार) बीमा प्रस्ताव पत्र एवं घोषणा पत्र दो प्रतियों में तैयार कर एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि॰, युनूस कॉरपोरेट, एस॰पी॰ वर्मा रोड, पटना को किसानों से वसूली गयी

बीमा प्रीमियम की राशि के बैंक ड्राफ्ट/खाता अंतरण के साथ प्रेषित किये जायेंगे। संबंधित सभी बैंक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के बीमित कृषकों का अलग–अलग घोषणा पत्र बीमा कंपनी को प्रेषित करेंगे ताकि उक्त कृषकों का वास्तविक आच्छादन एवं उक्त शीर्षों के उपबंध के अनुरूप भुगतान की गयी क्षतिपूर्त्ति राशि की स्थिति स्पष्ट हो सके। जो बैंक एतद् संबंधी विवरणी उपलब्ध नहीं करायेंगे उनके द्वारा प्रेषित घोषणा पत्र आदि को बीमा कंपनी स्वीकार नहीं करेगी। योजना के मार्ग–निदेशिका एवं इस अधिसूचना में दिए गए निदेश के अनुरूप बैंक के लिए अपेक्षित सभी कार्रवाईयों को सुनिश्चित करवाने की पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित बैंक के प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की होगी।

8. ऋण वितरण करने की अवधि एवं घोषणा पत्र जमा करने की तिथि को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है :–

क्रमांक	ऋण वितरण की अवधि	घोषणा पत्र जमा करने की तिथि
1	2	3
(क)	अप्रील, 2015 में प्रदाय ऋण	31 मई 2015 तक
(ख)	मई, 2015 माह में प्रदाय ऋण	30 जून, 2015 तक
(ग)	जून, 2015 माह में प्रदाय ऋण	31 जुलाई 2015 तक
(घ)	जुलाई, 2015 माह में प्रदाय ऋण	30 अगस्त, 2015 तक
(ङ)	अगस्त 2015 माह में प्रदाय ऋण	30 सितम्बर 2015 तक
(च)	अंतिम	31 अक्टूबर 2015 तक

खरीफ फसलों हेतु ऋण वितरण करने की अवधि 01.04.2015 से 30.09.2015 तक तथा घोषणा पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30.11.2015 तक निर्धारित की जाती है।

9. गैर ऋणी कृषक एवं ऋण राशि से अधिक राशि का बीमा कराने के इच्छुक कृषकों के लिए प्रस्ताव पत्र भरने तथा बीमा कराने की अंतिम तिथि 31.07.2015 होगी। गैर ऋणी कृषक 31.07.2015 तक अपने निकटतम वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा में प्रीमियम राशि जमा करके बीमा करायेंगे। बैंकों से इससे संबंधित घोषणा पत्र दिनांक 31.08.2015 तक एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि॰, पटना को उपलब्ध हो जाना चाहिये।

10. खरीफ–2015 मौसम की बीमित फसलों के कटनी प्रयोग के परिणाम के फसलवार, इकाईवार/क्षेत्रवार उत्पादन आँकड़े 29.02.2016 तक अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के माध्यम से एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि॰, पटना को प्राप्त हो जाना चाहिए। बीमा कंपनी द्वारा उक्त आँकड़े के आधार पर ही फसल क्षति का आंकलन किया जायेगा। स्थानीय स्तर पर ओला, तूफान आदि से क्षति एवं सामान्य फसल क्षति होने की स्थिति में NAIS के दिशा–निदेश के अनुसार क्षतिपूर्त्ति राशि की गणना की जाएगी। साथ ही अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय अधिसूचित क्षेत्र का फसलवार कटनी प्रयोग के अग्रिम कार्यक्रम की सूचना पर्याप्त समय पूर्व संबंधित बीमा कंपनी को भेज देगा तथा उक्त अग्रिम कार्यक्रम को बेवसाईट के माध्यम से अथवा समाचार–पत्र के माध्यम से बीमित कृषकों के संज्ञान में लाया जायेगा, ताकि चयनित फसल के कटनी प्रयोग का अवलोकन बीमा कंपनी के साथ–साथ बीमित कृषकों द्वारा भी किया जा सके एवं पारदर्शिता बनी रहे। इसके अतिरिक्त सभी जिलों में फसल कटनी प्रयोगों की विडियोग्राफी की व्यवस्था क्षेत्रीय प्रबंधक, ए॰आई॰सी॰ अपने स्तर से करेंगे।

11. फसल कटनी प्रयोग के आँकड़ें के आधार पर क्षतिपूर्त्ति की राशि की गणना एवं भुगतान के पूर्व किसानों द्वारा भरे गये प्रस्ताव पत्र, बैंक घोषणा–पत्र इत्यादि का नमूना जाँच (Sample Checking) आवश्यक होगा, जिसमें

बैंक शाखावार कम से कम 5% किसानों को निश्चित रूप से शामिल किया जायेगा। यह कार्य सहकारी बैंकों के लिए संबंधित जिला के जिला सहकारिता पदाधिकारी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए संबंधित नाबार्ड के पदाधिकरी एवं वाणिज्यिक बैंकों के लिए उक्त बैंक के संबंधित वरीय पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। जाँच प्रतिवेदन के पश्चात भुगतान आदि की प्रक्रिया बीमा कंपनी राज्य सरकार से सहमति प्राप्त कर करेंगी।

12. बीमा कंपनी द्वारा योजना के दिशा–निदेश के अनुरूप दावा की गई प्रीमियम एवं क्षतिपूर्त्ति मद की राज्यांश राशि की विमुक्ति निम्नलिखित शर्त्तों के साथ की जाएगी :–

(i) किसानों के बीमा करने के दो माह के अंदर बीमा कंपनी द्वारा संबंधित सभी बीमित किसानों की सूची की प्रविष्टि विहित प्रपत्र में सॉफ्टवेयर के माध्यम से On-Line करना होगा तथा सूची की Soft Copy एवं अग्रसारण पत्र की Hard Copy एवं Soft copy दोनों विभाग को उपलब्ध कराना होगा।

(ii) बीमा कंपनी द्वारा अपने स्तर से पूरी जाँच कर एवं पूर्ण आश्वस्त होकर ही बीमित किसानों की सूची प्रेषित की जायेगी और इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर उन्हें जिम्मेवार माना जायेगा और तद्नुसार सख्त कार्रवाई की जायेगी।

(iii) उपरोक्त कंडिका–(i) एवं (ii) के आलोक में बीमित किसानों की सूची एवं उसमें सन्निहित राशि की Soft Copy प्राप्त होने के पश्चात ही प्रीमियम अनुदान मद की स्वीकृत राशि का चेक बीमा कंपनी को दिया जायेगा।

(iv) लाभान्वित कृषकों अर्थात जिन्हें क्षतिपूर्त्ति/बीमा दावा का भुगतान होना है, उन्हें बीमा दावा राशि का भुगतान शिविर आयोजित कर खाता अंतरण के माध्यम से करने हेतु बीमा कंपनी अपने खर्च पर सभी महत्वपूर्ण राज्यस्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में शिविर आयोजन के कार्यक्रम के संबंध में विज्ञापन करना सुनिश्चित करेंगी तथा इसकी सूचना सहकारिता विभाग को भी देगी ताकि राज्य स्तर से भी इसका औचक निरीक्षण किया जा सके। शिविर में जन प्रतिनिधियों के साथ–साथ स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी जो वरीय उप समाहर्त्ता से न्यून न हों, की भी उपस्थिति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की होगी।

(v) AIC बीमा कंपनी द्वारा कैम्प लगाकर लाभान्वित कृषकों के बीमा दावा राशि का चेक/खाता अंतरण से भुगतान के 15 दिनों के अन्दर इन कृषकों को भुगतान की गयी राशि की संपूर्ण विवरणी की Soft Copy विभाग को देनी होगी तथा इसकी प्रविष्टि कंपनी द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर से On-Line करनी होगी। बीमा कंपनी इस निमित्त सॉफ्टवेयर में आवश्यकतानुसार सुधार/प्रावधान शीघ्र कर देगी। इसके लिए बीमा कंपनी को लाभार्थियों की सूची (भुगतान दावा राशि की सूचना सहित) की सॉफ्टकॉपी के साथ दावा भुगतान का अंडरटेकिंग/शपथ पत्र देना है ताकि यह सूची एवं दावा विवरणी भी विभागीय Website पर रखी जा सके।

(vi) ध्यातव्य हो कि AIC बीमा कंपनी की जिम्मेवारी केवल संबंधित बैंकों को क्षतिपूर्त्ति राशि उपलब्ध करा देने तक ही सीमित नहीं है, अतः बैंकों से उक्त क्षतिपूर्त्ति राशि को संबंधित किसानों के खातों में अविलम्ब हस्तांतरित कराना भी कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में AIC द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(vii) बीमा कार्य के निदेशों को उचित रूप से कार्यान्वित कराने की जिम्मेदारी संबंधित बैंकों के शाखा प्रबंधक, संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारिता बैंक के प्रबंध निदेशक, संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय प्रबंधक, AIC बीमा कंपनी की होगी।

13. पैक्सों द्वारा कोई बीमा कार्य नहीं किया जायेगा।

14. इस योजना के संचालन की जिम्मेवारी एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि॰, पटना की है। आवश्यकतानुसार योजना के कार्यान्वयन संबंधी स्पष्टीकरण बीमा कंपनी द्वारा भारत सरकार की मार्ग–दर्शिका के अनुरूप समय–समय पर प्रेषित किये जायेंगे।

15. अधिसूचना में अवर्णित टर्म्स एण्ड कंडिशन, प्रक्रिया आदि NAIS Guidelines में निर्धारित योजना एवं ऑपरेशनल मोडेलिटिज के अनुसार अपनाये जाएँगें।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

कामेश्वर प्रसाद,

सरकार के उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 696-571+20-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in